सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 13, बुधवार, शाके 1948- जून 03, 2026
Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1948- June 03, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 17, 2026

संख्या प. 2(5)वन/2026 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम,1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि उपर्युक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार का अभिलेखन नही किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहॅुचाने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/ सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जॅाच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जॅाच व अभिलेखन जहॅा तक व्यवहार्थ हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,14,17,18, और 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जॅाच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है,परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नही होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि

को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशुपालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोडा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॅाय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लॅाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
1.	खैराट	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उत्तर - ग्राम खैराट की आराजी नं. 71/67 पूर्व - वनखण्ड कुल्थी दक्षिण - वनखण्ड कुल्थी पश्चिम वनखण्ड	खैराट	70/67	35.0232
					योग	70/67	35.0232

हस्ताक्षर,

राहुल झाझड़िया,

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़।

वनखण्ड -खैराट

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

आरक्षित वृक्षों की सूची

क्र.सं.	बॅाटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1.	*Acacia leucophloea*	रौंझ
2.	*Senegalia senegal.*	कुमठा
3.	*Ziziphus mauritiana*	बेर

हस्ताक्षर

नारायण सिंह कच्छावा
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
जावदा।

हस्ताक्षर

राहुल झाझड़िया,
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़।

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रकाशन के समय प्रमाण पत्र

वनखण्ड -खैराट

रेंज - जावदा

वन मण्डल –चित्तौड़गढ़

प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम- "Strengthening and Widening of Rawatbhata - Gandhisagar Road (MDR-285) from Km 9/200 to 41/00, Tehsil-Rawatbhata, District- Chittorgrarh in the State of Rajasthan & Proposal No. FP/RJ/ROAD/443527/2023" (35.0232 Ha.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः गैर-मुमकिन पहाड़ गैर भुं. भाखर/मगरा/व.र्गे. Strengthening and Widening of Rawatbhata-Gandhisagar Road (MDR-285) from Km 9/200 to 41/00, Tehsil-Rawatbhata, District- Chittorgrarh in the State of Rajasthan. में प्रत्यावर्तन से प्राप्त हुई है, जिसे विज्ञप्ति के कालम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो के विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखो में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराया गया है। कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। और यथा सम्भव कुछ क्षेत्रों की पंचायतो से राजस्व विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गई है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में क्रमशः सम्पूर्ण क्षेत्र में प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष .....-..... से .....-..... में कराये गये है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में **0.02** प्रतिशत है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इसमें वनखण्ड **खेराट** में नगण्य प्रतिशत प्रजातियो के पेड है तथा कुछ क्षेत्रो में नामा घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती क्षेत्र की स्थिति वन भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॅालम नं. 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रो के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे कि इन भूमियो पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

हस्ताक्षर

नारायण सिंह कच्छावा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
जावदा।

हस्ताक्षर

राहुल झाझड़िया,
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।